न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— हरभान मीणा आर.ए.एस.

अपील स. 93/2011/75 एलआर एक्ट

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. भागीरथ पुत्र रखाराम जाति सुथार निवासी गिलवाला तहसील टिब्बी।
2. मनफुल पुत्र कानाराम (फौत)।

2/1 रूकमा पत्नि मनफुल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा।
2/2 हनुमान पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा।
2/3 गुड्डी पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा।
2/4 संतोष पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा।
2/5 सावित्री पुत्री मनफुल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा।
2/6 विजयसिंह पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी खाराखेड़ा।

—रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्ध आदेश उपखण्डाधिकारी टिब्बी दिनांक 30.09.01
प्रकरण सं0 255/2010 अनवानी भागीरथ बनाम सरकार

उपस्थित :—

1. श्री खुशकरण सिंह खोसा, राजकीय अधिवक्ता अपीलाण्ट
2. श्री कासिमअली अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1
3. श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2/1 से 2/6

निर्णय दिंनाक : 18.01.2018

1. प्रकरण के तथ्य सक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चक 9 केएचआर के प.न. 222/227 कि.न. 16, 17, 18 की कुल 0.721 है0 भूमि को आवंटी मनफुल से जरिये ईकरारनामा क्रय करना दर्शित करते हुए उक्त भूमि की सनद जारी किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 के उक्त आवेदन के आधार पर रिपोर्ट तहसील प्राप्त होने के उपरांत अपीलाधीन आदेश के जरिये नियमन आदेश जारी किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी अपील में दर्ज तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय का विधिक प्रावधानो के विपरीत है। रेस्पो0 ने अधीनस्थ

न्यायालय मे प्रश्नगत भूमि को मूल आवंटी से खरीद करना बताया है परन्तु प्रश्नगत भूमि से संबंधित आवंटन आदेश ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे मूल आवंटी द्वारा भूमि का बैचान किया जाना सिद्ध नही था इसलिए किसी भी सूरत मे नियमन नही किया जा सकता था। प्रश्नगत भूमि का नियमन करने से पूर्व मूल आवंटी द्वारा आवंटन की अगर कोई राशि बकाया थी तो खजाना राज मे जमा करवाई गई या नही इस तथ्य की कोई भी रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत नही हुई और ना ही मूल आवंटन पत्रावली तलब की गई और ना ही कब्जा बाबत स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत हुए एवं विक्रय विलेख भी सिद्ध नही था जिससे भूमि का हस्तान्तरण सिद्ध नही था। इन तथ्यों पर किसी प्रकार का कोई विचार ना कर अपीलाधीन निर्णय से रेस्पो. के हक मे गलत रूप से नियमन किया गया है। राजकीय अभिभाषक द्वारा अन्त में अपनी अपील को विलम्ब को माफ कर मियाद में शुमार करने का निवेदन किया व कथन किया कि इस हेतु धारा 5 कानून मियाद का प्रार्थना पत्र अलग से विधि अनुसार प्रस्तुत किया हुआ है इसलिये अपील को विलम्ब को क्षमा दान कर अपील मियाद शुमार की जाकर, अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अपील के तथ्यो का विरोध प्रस्तुत करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताकर निरस्त करने का निवेदन किया तथा बहस में यह कथन किया कि अपील मियाद बाहर है। इस विलम्ब को क्षमा दान करने हेतु जो कारण अपीलार्थी द्वारा बताये गये है उन कारणो के आधार पर विलम्ब को क्षमा नही किया जा सकता इसलिये अपील को मियाद के बिन्दु पर निरस्त करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा बहस में निवेदन किया कि मियाद के बिन्दु के अतिरिक्त अपील के अन्तर्गत जो भी बिन्दु उठाये गये है वे कतई आधारहीन है रिकार्ड के विपरीत है समस्त रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, नियमन व खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने से पूर्व पूर्ण प्रक्रिया की पालना कानून के मुताबिक की गई है। जमाबन्दी में उक्त भूमि मनीराम,

मनफुल पिसरान कानाराम अलाटी राष्ट्रपति भारत सरकार के रूप में रिकार्ड में दर्ज है। आवंटी ने यह भूमि रेस्पो0सं0 को बेचान कर दी थी। प्रश्नगत भूमि का नियमन व खातेदारी प्रदान करने का निवेदन प्रत्यार्थीगण द्वारा किया गया। भूमि नियमन कर खातेदारी दिये जाने से पूर्व नियमन की समस्त प्रक्रिया की पालना करते हुए रिपोर्ट लेते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी का अन्य ऐतराज की इसमें रकम पूर्ण जमा थी या नही इसकी रिपोर्ट नही ली गई यह ऐतराज भी विधि सम्मत नही है इस संबध में रिपोर्ट ली गई तथा रकम जमा होने का तथ्य पत्रावली पर आया तत्पश्चात नियमन शुल्क भी जमा करवाया गया इसलिये सरकारी रकम बकाया होने का तथ्य भी अपीलार्थी का सही नही है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 सं. 2/1 से 2/6 द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि जो रेस्पो0 के पूर्वज मनफुलराम के नाम दर्ज है, उक्त भूमि का बैचान भागीरथ पुत्र रखाराम को किया गया। भागीरथ द्वारा प्रश्नगत ईकरारनामा के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हस्तान्तरण को नियमन/खातेदारी करने की स्वीकृति बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिसकी अपील न्यायालय हाजा मे जैरकार है। ईकरारनामा दिनांक 26.06.98 पेटे बकाया प्रतिफल राशि रेस्पोडेंटस यानि मनफुल के वारिसान को भागीरथ पुत्र रखाराम द्वारा अदा नही की गई है और ना ही मनफुलराम को कोई राशि का भुगतान किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपूर्ण हस्तान्तरण दस्तावेज के आधार पर बिना प्रभावित पक्षकार को सुने अपीलाधीन आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि का नियमन रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे किया गया जो विधिसम्मत नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अन्तर्गत वसूली योग्य बकाया राशि के संबध में तहसीलदार से रिपोर्ट आदि ली गई पत्रावली में अकिंत तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि भारत सरकार की निष्क्रांन्त भूमि थी जो मनीराम, मनफुलराम पि. कानाराम अलॉटी राष्ट्रपति भारत सरकार है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट द्वारा ईकरारनामा दिनांक 26.06.1998 के आधार पर नियमन का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.10.09 को निष्क्रांत (कस्टोडियन) कृषि भूमि के निस्तारण एवं पूर्व आवंटियों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु नियमों के संबंध मे परिपत्र जारी किया गया था, उक्त परिपत्र के अनुसार ऐसे प्रकरण जिनमे मूल आवंटियों ने खातेदारी अधिकार प्राप्त होने से पूर्व ही भूमि का बेचान औपचारिक/अनौपचारिक तरीके से किसी अन्य को कर दिया है और मौका पर मूल आवंटी के बजाय अन्य व्यक्ति काबिज है, तो ऐसे हस्तान्तरण को उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति से सलाह करके नियमन शुल्क एवं शास्ति नियमानुसार जमा करवाने के पश्चात हस्तान्तरण का नियमन किये जाने का प्रावधान किया गया है।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त परिपत्र के अनुसरण मे हस्तान्तरण दस्तावेज ईकरारनामा दिनांक 26.06.1998 जो अपूर्ण है, के आधार पर नियमन/खातेदारी के आदेश पारित कर दिये। जबकि उक्त हस्तान्तरण दस्तावेज पूर्ण नही था, क्योंकि उक्त ईकरारनामा मे प्रश्नगत भूमि का बैचान का सौदा 2,70,000 रू0 मे तय किया गया जिसमे से 1,21,000 रू0 प्राप्त कर लिये गये और शेष राशि रजिस्ट्री पर ली जावेगी, का अंकन किया गया है तथा उक्त ईकरारनामा मे वर्णित बकाया राशि के संबंध मे ऐसा कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया जिससे साबित हो कि बैचानकर्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि के बैचान की सम्पूर्ण प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई है। परन्तु आवंटी/बैचानकर्ता के वारिसान द्वारा

शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन यह कथन किया गया ईकरारनामा दिनांक 26.06.1998 पेटे बकाया प्रतिफल राशि रेस्पो./मनफुल के वारिसान को भागीरथ द्वारा अदा नही की गई है और ना ही मनफुलराम को कोई राशि का भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति मे बेचान/हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण नही होने के कारण इस इकरारनामे के द्वारा किए गए हस्तान्तरण बेचान को विनियमन नही किया जा सकता है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 16.10.2009 से खातेदारी से पूर्व किए गए कस्टोडियन भूमि के आवंटी द्वारा औपचारिक/अनोपचारिक बेचान को नियमन करने का प्रावधान किया गया। आक्षेपित निर्णय को अपीलांट विधि विरूद्ध साबित करने मे सफल रहने के कारण तथा अपूर्ण हस्तान्तरण दस्तावेज के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि किया जाना उचित नही होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

9. उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2001 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ